भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 117#
जिसका उत्तर गुरुवार, 2 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार का प्रतिनिधित्व

117.# श्री राम नाथ ठाकुर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार न्यायधीशों की नियुक्ति में अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त करने की दिशा में अग्रसर है ; और
(ख) क्या सरकार न्यायधीशों की नियुक्ति हेतु संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की तरह ही कोई स्वतंत्र नियामक बनाने पर विचार कर रही है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख) : माननीय उच्चतम न्यायालय ने एनजेएसी मामले में रिट याचिका (सी) 2015 का 13 की सुनवाई करते हुए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के पूरक पर 16-12-2015 को विस्तृत आदेश जारी किया जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार भारत के मुख्य न्यायामूर्ति के परामर्श से इसे पूरक करके प्रक्रिया ज्ञापन को अंतिम रूप दें । भारत के मुख्य न्यायामूर्ति उच्चतम न्यायालय के चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों वाले कॉलेजियम के सर्वसम्मत दृष्टिकोण के आधार पर विनिश्चय लेंगे । आदेश में कहा गया है कि वे निम्नलिखित कारकों पर विचार करेंगे जैसे कि पात्रता मानदंड, नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता, सचिवालय, शिकायत तंत्र और प्रकीर्ण मामले जिन्हें पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त माना जाता है, जिसमें नियुक्ति की गोपनीयता, बिना त्याग के उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश करने वालों के साथ बातचीत सम्मिलित है ।

उपरोक्त आदेशों के अनुसरण में, भारत सरकार ने उचित परिश्रम के पश्चात 22.3.2016 को भारत के माननीय मुख्य न्यायामूर्ति को एमओपी भेजा, पुनरीक्षित प्रारूप एमओपी पर उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की प्रतिक्रिया 25.05.2016 और 01.07.2016 को प्राप्त हुई । उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के विचारों के प्रतिउत्तर में सरकार के दृष्टिकोण को 03.08.2016 को भारत के मुख्य न्यायामूर्ति को अवगत कराया गया था । प्रारूप एमओपी पर सरकार के विचारों पर एससीसी की टिप्पणियां 13.03.2017 को प्राप्त हुई।

इसके पश्चात, उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के विरुद्ध स्वत: अवमानना कार्यवाही में तारीख 4.7.2017 के निर्णय में उन्नयन में उनके नाम की सिफारिश के समय अवमाननाकर्ता के व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक उपयुक्त

प्रक्रिया प्रदान नहीं करने की प्रणाली की विफलता को सामने लाया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया पर फिर से विचार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला । सुसंगत बिंदुओं पर सरकार के दृष्टिकोण को तारीख 11.07.2017 के पत्र द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय को सूचित किया गया था । रिट याचिका **(**सी**)** 2019 का संख्या 1236 में उच्चतम न्यायालय के तारीख 20.04.2021 के एक अन्य आदेश के पश्चात**,** सरकार ने एमओपी के पैरा 24 के पूरक के लिए प्रारूप का सुझाव देते हुए तारीख 18.8.2021 के पत्र के माध्यम से फिर से उच्चतम न्यायालय के सामने प्रस्ताव भेजा।

उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के साथ अपने परामर्श में, सरकार ने रिट याचिका (सी) 2015 के 13 में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप सुझाव दिए हैं, जिसमें क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम की सहायता के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय स्तर पर छानबीन सह मूल्यांकन समिति की आवश्यकता सम्मिलित है। यह प्रस्तावित किया गया था कि समितियां संभावित अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर सुसंगत सामग्री की जांच और मूल्यांकन कर सकती हैं और एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करेंगी। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के संबंधित कॉलेजियम द्वारा सिफारिशें करने का विनिश्चय जारी रहेगा। तथापि, उच्चतम न्यायालय ऐसी समितियों के गठन के लिए सहमत नहीं था।

भारत के उच्चतम न्यायालय को तारीख 06-01-2023 को सरकार ने अपने हाल की संसूचना मे विभिन्न न्यायिक घोषणा की दृष्टि से एमओपी अंतिम रूप देने के लिए आवश्यकता पर जोर दिया है और अन्य बातों के साथ सुझाव दिया है कि छानबीन सह मूल्याकंन समिति उच्चतम के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के संबंध में भारत सरकार द्वारा नामित एक प्रतिनिधि सम्मिलित होना चाहिए । उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए समिति ने भारत सरकार द्वारा नामित एक प्रतिनिधि और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन राज्य सरकार (सरकारों) के एक प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री के द्वारा नामित किया जाना चाहिए । यह प्रस्तावित किया गया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायामूर्तियों और न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए मुख्यमंत्रियों के द्वारा सिफारिश किए गए नाम छानबीन सह मूल्याकंन समिति द्वारा प्रस्तावित सचिवालय द्वारा बनाए गए डाटाबेस (न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं) से कॉलिजियम के बाहर वरिष्ठ न्यायाधीशों से लिए गए नामों और पात्र अभ्यर्थियों के साथ प्राप्त किए जा सकते है । उच्च न्यायालय कॉलेजियम छानबीन सह मूल्यांकन समिति द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल पर विचार-विर्मश कर सकता है और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों और न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यर्थियों के नामों की सिफारिश कर सकता है । कॉलेजियम उपयुक्त स्तर पर उपरोक्त उल्लिखित श्रोतों से पात्र अभ्यर्थियों के पैनल तैयार करने की उपरोक्त अपेक्षाओं को पूरा कर सकता है और अपेक्षित कारणों से अपनी कार्यवाही तैयार कर सकता है तथा उसके पश्चात् सुंसंगत दस्तावेजों के साथ सरकार को प्रस्ताव भेज सकता है ।

उपर्युक्त उल्लिखित छानबीन-सह-मूल्यांकन समितियों को पात्र अभ्यर्थियों का एक पैनल तैयार करने का काम सौंपा जाएगा, जिसमें से संबंधित कॉलेजियम सिफारिश करेंगे। यह, अन्य सुझाए गए उपायों के साथ संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और शीघ्र तंत्र का मार्ग प्रशस्त करेगा ।

****